

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

॥ मूल वाद मे डिक्री ॥

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठारीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 179/2023 राजस्व वाद

01. कंकु पत्नि धन्ना कुमावत, आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
02. पारसी पुत्री धन्ना कुमावत, आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0) — वादीगण

बनाम

01. डालु पुत्र कुमावत, आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0), प्रतिवादीगणगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वावत विभाजन आराजियात**

वादीगण की ओर से श्री हरिश टेलर, एडवोकेट और प्रतिवादीगणगण संख्या 01 लगायत 02 अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 26.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।


सरहद बेलिया का खेडा पटवार हल्का करेड़ा द्वितिय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 93 के आराजी नम्बर- 7319 से 7322, 8296/7320, 8303/7318 कुल किता 06 कुल रकवा 4.7677 हैक्टर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(1)खातेदार का नाम- कंकु पत्नि धन्ना कुमावत, आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, रहन भुमि विकास बैंक शाखा माण्डल हिस्सा 1/2, पारसी पुत्री धन्ना हिस्सा 1/2, जाती कुमावत सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकवा (हैक्टर मे)
01.	7320/4	0.0350 हैक्टर
02.	7321/2	0.2645 हैक्टर
03.	7322	1.8464 हैक्टर
04.	8296/7320/3	0.2155 हैक्टर
योग	किता 04	2.3614 हैक्टर

(2)खातेदार का नाम- डालु पुत्र किशना हिस्सा पुर्ण जाती कुमावत सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकवा (हैक्टर मे)
01.	7320/1,	0.0126 हैक्टर


उपखण्ड अधिकारी पट्टे
सहायक क्लर्क करेड़ा


02.	7320/3,	0.0434 हेक्टर
03.	7321/1,	0.2919 हेक्टर
04.	8296/7320/2,	0.3315 हेक्टर
05.	8303/7318	1.6820 हेक्टर
योग	किता 05	2.3614 हेक्टर

(3)शामलाती सह खातेदार के नाम- कंकु पत्नि धन्ना हिस्सा 1/2, पारसी पुत्री धन्ना हिस्सा 1/4, डालु पुत्र किशना कुमावत हिस्सा 1/2, सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर रहन कंकु पत्नि धन्ना हिस्सा 1/4, रहन भुमि विकास बैंक शाखा माण्डल (कुआ एवं रास्ता)

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
01.	7319,	0.0126 हेक्टर
02.	7320/2,	0.0102 हेक्टर
03.	8296/7320/1,	0.0221 हेक्टर
योग	किता 03	0.0449 हेक्टर


उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड में अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करेगे।


(~~उपखण्ड अधिकारी पदेन~~
उपखण्ड अधिकारी पदेन

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुनेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला गोलवाड़ा (राज0)

पीठाधीन अधिकारी - श्रीमान सिंह, आर.ए.एस.

सूचना संख्या 179/2023 राजस्थान शांति

01. कंकु पत्नि धन्ना कुमावत, आरु वयरक निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रावपुर जिला गोलवाड़ा(राज0)
02. पारसी पुत्री धन्ना कुमावत, आरु वयरक निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रावपुर जिला गोलवाड़ा(राज0)

बनाम

01. डा. पुत्र कुमावत, आरु वयरक निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रावपुर जिला गोलवाड़ा(राज0)
02. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला गोलवाड़ा (राज0).

मादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपरिष्ठत :-

1. श्री हरीश देवार
2. एकपक्षीय-
3. पेशीकार सरकार

- अधिवक्ता वादीगण
- प्र.सं. 01
- प्र.सं. 02

निर्णय :-

दिनांक- 28.08.2025

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 दिनेश्री एक्ट के तहत प्रस्तुत कर रासहद बेलिया खेडा पटवार हल्का द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला गोलवाड़ा (राज0) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम सामग्राही खातेवादी हक में दर्ज रेकर्ड है। सामग्राही होने से मौके पर हक हिस्से की भूमि को विकसित करने में, फसल, लगान आदि जमा कसाने एवं त्रुण लेने में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु मादपत्र प्रस्तुत कर दिव्यदत विभाजन की इस्तदुआ की।


वादीगण का मादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगणगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जारिये रजिस्टर्ड एडो जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 के बाद तामिल उपरिष्ठत नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहरस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने मादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार मादपत्र को डिब्दी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहरस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का मादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

रासहद बेलिया का खेडा पटवार हल्का करेड़ा द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला गोलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 93 के आराजी नम्बर- 7319 से 7322, 8296/7320, 8303/7318 कुल विस्ता 06 कुल रक्बा 4.7677 हेक्टर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षाकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नकशे में तरभीम बिले जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(1) खातेदार का नाम- कंकु पत्नि धन्ना कुमावत, आरु वयरक निवासी-पाटीया खेडा, रहन मुमि विकास वैव शाखा माण्डल हिस्सा 1/2, पारसी पुत्री धन्ना हिस्सा 1/2, जाती कुमावत सा पाटिया खेडा खातेदार का नाम पर


उपलब्ध अधिकारी पदे-
सहायक कलेक्टर करेड़ा

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर म)
01.	7320 / 4	0.0350 हेक्टर
02.	7321 / 2	0.2645 हेक्टर
03.	7322	1.8464 हेक्टर
04.	8296 / 7320 / 3	0.2155 हेक्टर
योग	किता 04	2.3614 हेक्टर

(2) खातेदार का नाम— डालु पुत्र किशना हिस्सा पूर्ण जाती कुमावत सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर म)
01.	7320 / 1,	0.0126 हेक्टर
02.	7320 / 3,	0.0434 हेक्टर
03.	7321 / 1,	0.2919 हेक्टर
04.	8296 / 7320 / 2,	0.3315 हेक्टर
05.	8303 / 7318	1.6820 हेक्टर
योग	किता 05	2.3614 हेक्टर

(3) शामलाती सह खातेदार के नाम— कंकु पत्नि धन्ना हिस्सा 1/2, पारसी पुत्री धन्ना हिस्सा 1/4, डालु पुत्र किशना कुमावत हिस्सा 1/2, सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर रहन कंकु पत्नि धन्ना हिस्सा 1/4, रहन भुमि विकास बैंक शाखा माण्डल (कुआ एवं रास्ता)

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर म)
01.	7319,	0.0126 हेक्टर
02.	7320 / 2,	0.0102 हेक्टर
03.	8296 / 7320 / 1,	0.0221 हेक्टर
योग	किता 03	0.0449 हेक्टर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे। तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी उक्तानुसार डिकी जारी हो खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

प्रह निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठारसीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 179/2023 राजस्व वाद

01. कंकु पत्नि धन्ना कुमावत, आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
02. पारसी पुत्री धन्ना कुमावत, आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
— वादीगण

बनाम

01. डालु पुत्र किशाना कुमावत, आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0),
प्रतिवादीगणगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात**

उपस्थित :-

1. श्री हरीश टेलर
2. एकपक्षीय-
3. परोकार सरकार

—अधिवक्ता वादीगण

— प्र.सं. 01

—प्रति.सं. 02

:: निर्णय ::

दिनांक- 26.08.2025

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद बेलिया खेडा पटवार हल्का द्वितीय प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर हक हिस्से की भूमि को विकसित करने मे, फसल, लगान आदि जमा कराने एवं ऋण लेने में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।


वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगणगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 02 के बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद बेलिया का खेडा पटवार हल्का करेड़ा द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 93 के आराजी नम्बर- 7319 से 7322, 8296/7320, 8303/7318 कुल कित्ता 06 कुल रकवा 4.7677 हैक्टर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1)खातेदार का नाम- कंकु पत्नि धन्ना कुमावत, आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, रहन भूमि विकास बैंक शाखा माण्डल हिस्सा 1/2, पारसी पुत्री धन्ना हिस्सा 1/2, जाती कुमावत सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
01.	7320 / 4	0.0350 हैक्टयर
02.	7321 / 2	0.2645 हैक्टयर
03.	7322	1.8464 हैक्टयर
04.	8296 / 7320 / 3	0.2155 हैक्टयर
योग	किता 04	2.3614 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम— डालु पुत्र किशना हिस्सा पुर्ण जाती कुमावत सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
01.	7320 / 1,	0.0126 हैक्टयर
02.	7320 / 3,	0.0434 हैक्टयर
03.	7321 / 1,	0.2919 हैक्टयर
04.	8296 / 7320 / 2,	0.3315 हैक्टयर
05.	8303 / 7318	1.6820 हैक्टयर
योग	किता 05	2.3614 हैक्टयर

(3) शामलाती सह खातेदार के नाम— कंकु पत्नि धन्ना हिस्सा 1/2, पारसी पुत्री धन्ना हिस्सा 1/4, डालु पुत्र किशना कुमावत हिस्सा 1/2, सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर रहन कंकु पत्नि धन्ना हिस्सा 1/4, रहन भुमि विकास बैंक शाखा माण्डल (कुआ एवं रास्ता)

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
01.	7319,	0.0126 हैक्टयर
02.	7320 / 2,	0.0102 हैक्टयर
03.	8296 / 7320 / 1,	0.0221 हैक्टयर
योग	किता 03	0.0449 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड में अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे। तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी उक्तानुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 179/2023 राजस्व वाद

01. कंकु पत्नि धन्ना कुमावत,आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
02. पारसी पुत्री धन्ना कुमावत,आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
— वादीगण

बनाम

01. डालु पुत्र किशना कुमावत,आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0).
— प्रतिवादीगणगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात**

वादीगण की ओर से श्री हरिश टेलर, एडवोकेट और प्रतिवादीगणगण संख्या 01 लगायत 02 अनुपरिधत की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 26.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।


सरहद बेलिया का खेडा पटवार हल्का करेड़ा द्वितिय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 93 के आराजी नम्बर- 7319 से 7322, 8296/7320, 8303/7318 कुल किता 06 कुल रकबा 4.7677 हैक्टयर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1)खातेदार का नाम- कंकु पत्नि धन्ना कुमावत,आयु वयस्क निवासी-पाटीया खेडा, रहन भुमि विकास बैंक शाखा माण्डल हिस्सा 1/2, पारसी पुत्री धन्ना हिस्सा 1/2, जाती कुमावत सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	7320/4	0.0350 हैक्टयर
02.	7321/2	0.2645 हैक्टयर
03.	7322	1.8464 हैक्टयर
04.	8296/7320/3	0.2155 हैक्टयर
योग	किता 04	2.3614 हैक्टयर

(2)खातेदार का नाम- डालु पुत्र किशना हिस्सा पुर्ण जाती कुमावत सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	7320/1,	0.0126 हैक्टयर


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

02	7320 / 3.	0.0434 हेक्टर
03	7321 / 1.	0.2919 हेक्टर
04	8296 / 7320 / 2.	0.3315 हेक्टर
05	8303 / 7318	1.6820 हेक्टर
योग	किता 05	2.3614 हेक्टर

(3)शामलाती सह खातेदार के नाम- कंकु पत्नि घन्ना हिस्सा 1/2. पारसी पुत्री घन्ना हिस्सा 1/4. डालु पुत्र किशना कुमावत हिस्सा 1/2. सा पाटिया खेडा खातेदार के नाम पर रहन कंकु पत्नि घन्ना हिस्सा 1/4. रहन भुमि विकास बैक शाखा माण्डल (कुआ एवं रास्ता)

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
01.	7319.	0.0126 हेक्टर
02.	7320 / 2.	0.0102 हेक्टर
03.	8296 / 7320 / 1.	0.0221 हेक्टर
योग	किता 03	0.0449 हेक्टर


उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड में अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करेगे।

()
(उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

()
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)